कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–07 /FP/UK/ROAD/8763/2014 (दे0दून) :देहरादून:दिनांकः 01 जून, 2015.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लो0नि0वि0 कालसी,
देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में रायगी से कुल्हा मो0 मार्ग के विस्तार हेतु 3.15 हे0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–314/एक्स–4–15/1(146) /2015, दिनांक 30–05–2015. (प्रति संलग्न)

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का निम्नानुसार अनुपालन कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.30 हे0 सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रूपये 9,00,900.00 (रू0 नौ लाख नौ सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम कुल्हा के मोल्टी सिविल सोयम भूमि उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्कि स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,00,000.00 (रू0 सात लाख) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 20,69,550.00 (रू0 बीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ पचास) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
4. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी जानी है कि मा0 उच्चतम न्यायालय अथवा भारत सरकार द्वारा भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यथा समय जमा कर दी जायेगी।
5. उत्तराखण्ड शासन की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/c No.037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें। RTGS हेतु कॉरपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कॉरपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पत्र/जमा कराई गयी धनराशि का सम्बन्धित बैंक द्वारा यू0टी0आर0 नम्बर एवं दिनांक भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।
6. उत्तराखण्ड शासन की शर्त संख्या 7 से 09 तक की अनुपालन आख्या/बचनवद्धता सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन मूल प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या–1 से बिन्दु संख्या–09 तक की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। कृपया अपूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये।

संलग्न यथोपरि।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– 07 /FP/UK/ROAD/8763/2014 (दे0दून) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

भुगतान पत्रावली सं0 ...... पृष्ठ सं0 ...2.... पर अनुमोदित

Dated 10-9-15 Amount

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी